न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5 / 2020 (उदयपुर डिक्री)

गिरधारी लाल भील पिता स्वर्गीय श्री भैरूलाल भील, निवासी कोडियात रोड़, बुढ़िया बावडी, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. लालू भील पिता स्वर्गीय श्री कना भील, निवासी नोहरा गांव, कमली, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
2. किशन भील पिता स्वर्गीय श्री भैरूलाल भील, निवासी एकलव्य कॉलोनी, मल्लातलाई, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
3. मोहन भील पिता स्वर्गीय श्री भैरूलाल भील, निवासी एकलव्य कॉलोनी, मल्लातलाई, तहसील गिर्वा, उदयपुर (राज.)
4. नायब तहसीलदार, बारापाल, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) गिर्वा दि.
10–12–2019 प्रकरण संख्या 113 / 19

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री धर्मेन्द्र गहलोत अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री शिवकुमार उपाध्याय अभि. रे. सं. 2, 3
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 10–10–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नोहरा, तहसील गिर्वा में आराजी नंबर 7513, 7514, 7520 व 7522 कुल किता 4 रकबा 0.9900 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1629 / 41 जो राजस्व रेकार्ड में श्रीमती होमली पुत्री स्वर्गीय दामा भील के नाम दर्ज थी। होमली व वादी के पिता भैरूलाल जी को समाज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:08 IST
Reason: SelfAttested

की रिति एवं रूढ़ि अनुसार गोद रखा तथा वादी के पिता ने ही होमली के सेवा–श्रुषा की। होमली का देहावसान दिनांक 04–05–1973 को तथा भैरूलाल का देहावसान दिनांक 23–03–1984 में हुआ। भैरूलाल के विधिक वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 होकर विवादित आराजियात पर काबिज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लालू के पिता का नाम कना भील था। कना के तीन पुत्र लालू, नवला व खेमा हुए। लालू के पहचान पत्र अनुसार लालू होमली का जाइन्दा पुत्र नहीं है तथा न ही होमली व उसके पति दादा ने कभी लालू को गोद रखा। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने आपको होमली का पुत्र बताकर वाद वर्णित आराजियात का नामान्तरकरण संख्या 1499 अपने नाम स्वीकृत करवा लिया, जो वादी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। अतः नामान्तरकरण संख्या 1499 शून्य घोषित किया जाकर वादी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश फरमावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने कुल 6 तनकियां कायम की एवं अपने निर्णय दिनांक 10–12–2019 से तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 06–01–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री शिवकुमार उपाध्याय उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने गोद को दस्तावेज एवं साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं माना है, किन्तु अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। गोद वर्ष 1960 का है, जिस समय हिन्दु अधिनियम लागू नहीं था और कस्टम अनुसार प्रचलित मान्यता के तहत अपीलान्ट का गोद जाना अखण्डनीय साक्ष्यों से साबित है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां साक्ष्य का खण्डन नहीं होता वहां उस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं रहता। हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जानजाति पर लागू नहीं होते हैं। रेस्पोन्डेन्ट की साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्ट को जिरह का अवसर प्रदान नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:08 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलान्ट वादी के पिता भैरूलाल को श्रीमती होमली के गोद जाने के तथ्य को सही बताते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताया तथा अपील स्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का कथन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार वादी के पिता भैरूलाल का श्रीमती होमली के गोद जाने के आधार पर है, जबकि इस बाबत् उसके द्वारा कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सिर्फ वादी के मौखिक कथनों के आधार पर उसके पिता भैरूलाल को होमली का गोद पुत्र होना नहीं माना जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने तनकी नंबर 1 के विवेचन में यह स्पष्ट अंकित किया है कि वादी ने गोद लिये जाने के तथ्य को किसी भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज से प्रमाणित नहीं कराया है। इस आधार पर तनकी नंबर 1 वादी के विरूद्ध निर्णित की है तथा तनकी नंबर 2 के संबंध में भी अधिनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 1499 को तो त्रुटि पूर्ण माना है, किन्तु वादी किस आधार पर होमली का उत्तराधिकारी है, जिसे उक्त नामान्तरकरण शून्य घोषित कर वादी के नाम पर अंतरित किया जा सके, इस तथ्य के आधार पर तनकी नंबर 2 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में माना है। उक्त तनकियों के आधार पर वादी के जिम्मे की स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् बनायी गयी तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2019 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:08 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

गिरधारीलाल पिता स्व. भैरूलाल भील, निवासी कोडियात रोड़, बुढिया बावडी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम **लालू भील पिता स्व. कना भील, निवासी नोहरा गांव, कमली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**05 / 2020**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**12**.....**2019**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री धर्मेन्द गहलोत**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री शिवकुमार उपाध्याय**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–12–2019 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**.....
...
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**10**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:58:08 IST
Reason: SelfAttested